



मतदान व्यवहार : एक विश्लेषण

डॉ. सीमा श्रीमाल, सहायक प्राध्यापक, राजनीति
जवाहरलाल नेहरू विधि महाविद्यालय, मन्दसौर
Email - shrimalseema71@gmail.com

सारांश :- लोकतंत्र में केवल मतदान कराना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि यह भी समझना आवश्यक है कि मतदाता किस आधार पर मतदान करता है। मतदाताओं के निर्णय लेने की प्रक्रिया को ही मतदान व्यवहार कहा जाता है। मतदान व्यवहार लोकतांत्रिक राजनीति चुनाव परिणाम और सरकार के स्वरूप को गहराई से प्रभावित करता है। मतदान व्यवहार लोकतंत्र की दिशा और दशा तय करता है। जब मतदाता जागरूक, स्वतंत्र और मुद्रा आधारित निर्णय लेता है, तभी लोकतंत्र मजबूत होता है। भारत में बदलाव मतदान व्यवहार यह संकेत देता है कि लोकतंत्र धीरे-धीरे अधिक परिपक्व हो रहा है।

किवर्ड - लोकतंत्र, मतदान, व्यवहार, नेतृत्व।

प्रस्तावना :- भारत में मतदान व्यवहार मतदान प्रक्रिया के दौरान मतदाताओं द्वारा निर्णय लेने के पैटर्न को संदर्भित करता है। इसमें मतदाता मतदान, चुनावी प्राथमिकताएँ और मतदान पैटर्न के अंतर्निहित अन्य कारक जैसे तत्व शामिल हैं। भारत में मतदान व्यवहार के बारे में समझना यूपीएससी भारत में मतदान व्यवहार का अध्ययन देश के बड़े राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक वातावरण को समझने में मदद करता है। स्वतंत्रता के बाद से भारतीय नागरिकों का मतदान व्यवहार दशकों में विकसित हुआ है। भारत में मतदान व्यवहार को आकार देने में कई कारक योगदान देते हैं। ये कारक देश के सामाजिक राजनीतिक वातावरण से गहराई से जुड़े हुए हैं।

मतदान व्यवहार - लोकतंत्र सहमति पर आधारित ऐसी सहकारी व्यवस्था है, जिसका अस्तित्व निर्वाचन की निष्पक्षता पर आधारित है। संविधान सभा के सामने यह समस्या थी कि प्रजातंत्र की सफलता के लिए कैसे निर्वाचन तंत्र को अपना जाये? नेहरू भारत की जनता में अटूट विश्वास रखते थे उन्होंने संविधान सभा के सामने एक भावभरा भाषण दिया कि “यदि भारत के संविधान में बालिग मताधिकार की व्यवस्था नहीं होगी तो सम्भवतः हमारा राष्ट्रीय आन्दोलन व स्वतंत्रता मूल्यहीन बन जायेंगे।” भारत में लोकतंत्र अब तक कैसे चल रहा है, और यहाँ की व्यवस्था क्यों नहीं टूटी? यह बात पश्चिमी विचारकों के लिए पहली रही है। “भारत में लोकतंत्र की प्रारम्भिक सफलता का श्रेय पाश्चात्य विद्वानों ने पहले नौकरशाही के फौलादी ढाँचे, नेहरू के चमत्कारी व्यक्तित्व व कांग्रेस दल को दिया।” किन्तु इन विचारकों को विश्वास था कि इन सबके ढह जाने या किसी वजह से कमजोर हो जाने जैसे कि चीनी आक्रमण, केन्द्र-राज्य सम्बन्ध विवाद, पाकिस्तान से युद्ध में पराजय या आर्थिक मोर्चे पर विफलता से भारत में लोकतंत्र समाप्त हो सकता है। अनेक पश्चिमी समाचार पत्रों ने तो यहां तक भविष्यवाणी कर दी थी कि सम्भवतः चौथे चुनाव भारत में आखिरी चुनाव होंगे। समय के साथ पश्चिमी विचारकों के मन में भारत की लोकतंत्रीय व्यवस्था के प्रति संदेह दूर हो गया और आज भारत ने केवल एशिया का बल्कि सम्पूर्ण विश्व का सबसे बड़ा प्रजातंत्रीय राष्ट्र माना जाता है। आज सभी यह स्वीकारते हैं कि भारत में अधिकांशतः तटस्थ व सुव्यवस्थित चुनाव हुए हैं। किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में मतदाता का चुनाव व्यवहार कौतूहल पैदा करता है। कुछ प्रश्न राजनीतिशास्त्रियों व सामान्यजनों में सामान्य रूप से जिज्ञासा पैदा करते हैं। जैसे कि, चुनाव व्यवस्था का मतदाता पर क्या प्रभाव पड़ा? मतदाताओं का कैसा व्यवहार रहा? क्या विगत चुनावों एवं लोकतांत्रिक संस्थाओं के क्रियाकलापों से आम मतदाता की राजनीतिक जागरूकता में वृद्धि हुई है? क्या मतदाता के व्यवहार से नेहरू की अपेक्षाएँ पूरी हुई हैं? इन संदर्भों में भारत के प्रसंग में अनेक पश्चिमी भारतीय शोधकर्ताओं ने अध्ययन किये हैं जैसे वी. एन. सिरसीकर ने पूना के संदर्भ में अध्ययन किया। इसके अलावा रजनी कोठारी, मोरिस जोन्स, डॉ. इकबाल नारायण, रामाश्रय राय, नारमन डी पामर, रूडोल्फ व माईनर वीनर ने काफी गहराई से मतदान व्यवहार का अध्ययन किया है। द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद पूरे विश्व में शोधकर्ताओं का ध्यान मतदान व्यवहार के गहन विश्लेषण पर गया।

मतदान व्यवहार का अर्थ - मतदान व्यवहार से हमारा अभिप्राय है कि मतदाता अपना मत देते समय कौन-कौन से कारणों अथवा स्थितियों से प्रभावित होता है। मतदाता की मतदान के प्रति निर्णयकारी क्षमता को परिवर्तित या प्रभावित करने वाले तत्व ही मतदान व्यवहार कहलाते हैं। साधारण शब्दों में मतदान व्यवहार का अर्थ है कि मतदाता अपने मत का प्रयोग क्यों करते हैं और किस प्रकार करते हैं? मतदान व्यवहार में प्रथम तो अध्ययन किया जाता है कि मतदाता को मतदान करने के लिए कौन से तत्व प्रेरित करते हैं? दूसरे इस बात का अध्ययन किया जाता है कि मतदाता को कौन से तत्व निरुत्साहित करते हैं तथा तीसरे मतदान व्यवहार में भी

अध्ययन किया जाता है कि किन तत्वों से प्रभावित होकर मतदाता किसी विशेष राजनीतिक दल और किसी विशेष उम्मीदवार को मत देता है।

भारत में मतदान व्यवहार को प्रभावित करने वाले मुख्य तत्व निम्न हैं -

- प्रारम्भ से ही जातिवाद मतदान व्यवहार को प्रभावित करने वाला एक महत्वपूर्ण तत्व रहा है। प्रत्येक दल किसी भी चुनाव क्षेत्र में प्रत्याशी मनोनीत करते समय जातिगत गणित का अवश्य विश्लेषण करते हैं। ऐसा माना जाता है कि चुनाव में जातियाँ अपनी पसंद के जातिगत उम्मीदवार को समूह में मत देती हैं।
- साक्षरता का स्तर, समुदाय का प्रकार, धर्म आदि ने मतदान व्यवहार को प्रभावित किया है। भारतीय समाज में ग्रामीणों की संख्या अधिक होने से उनमें साक्षरता का स्तर कम है जो मतों की संख्या को प्रभावित करता है। धर्म के नाम पर साम्प्रदायिक भावना उकसायी जाती है जिससे व्यक्तिगत व्यवहार और फलस्वरूप मतदान व्यवहार प्रभावित होता है।
- राजनीतिक स्थिरता की आकांक्षा मतदान व्यवहार को कहाँ तक प्रभावित करती है इसका भी पांचवें लोकसभा चुनाव और १९७२ के चुनाव थे।
- विचारधारा कार्यक्रम और नीति मतदान व्यवहार को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण तत्व रहे हैं। कांग्रेस के पक्ष में मतदान होने का एक मुख्य कारण यह रहा है कि अन्य दलों के मुकाबले वह जनता के सामने अधिक आकर्षक, प्रभावी और कल्याणकारी कार्यक्रम प्रस्तुत कर सकी है।
- मतदान व्यवहार को देश की आर्थिक स्थिति ने काफी प्रभावित किया है। १९६७ के चुनावों में कांग्रेस के विरोध में मतदान इसलिए हुआ कि जनता की आर्थिक कठिनाईयाँ बहुत बढ़ गई थीं, किन्तु जब १९७१ के चुनावों से पूर्व श्रीमती गांधी ने आर्थिक स्थिति सुधारने पर अपना ध्यान केन्द्रित किया तो मतदान पुनः कांग्रेस के पक्ष में हुआ।
- १९७१ के पांचवें लोकसभा चुनावों से पूर्व सामंतशाही व्यवस्था ने मतदान व्यवहार को सकारात्मक रूप से प्रभावित किया। स्वतंत्र पार्टी तेजी से उभरी, क्योंकि जागीरदारों, भूतपूर्व राजाओं आदि को अच्छा समर्थन मिला।
- क्षेत्रवाद की प्रवृत्ति मतदान व्यवहार को सदा से प्रभावित करती रही है। १९६७ में पंजाब के अकाली और मद्रास में द्रमुक की विजय इसके प्रत्यक्ष प्रमाण हैं। १९७१ के चुनावों में क्षेत्रीयतावाद की भावना ने मतदान व्यवहार को विशेष प्रभावित नहीं किया।
- भाषा सम्बन्धी विवादों ने भी समय-समय पर मतदान व्यवहार को प्रभावित किया है। तमिलनाडु में मुख्यतः हिन्दी विरोधी प्रकार के कारण द्रमुक को १९६७ में विधानसभा में स्पष्ट बहुमत प्राप्त हो गया।
- साम्प्रदायिकता की भावना, विदेशी धन, चुनाव प्रचार, उम्मीदवारों द्वारा नोट देकर वोट खरीदने की शक्ति आदि तत्व भी मतदान व्यवहार को किसी ने किसी सीमा तक प्रभावित करते हैं।
- राजनीति जागरण भी मतदान व्यवहार को प्रभावित करने वाला महत्वपूर्ण तत्व है। इसका प्रत्यक्ष सम्बन्ध मतदान व्यवहार से देखा जाता है। अधिक मात्रा में राजनीतिक दृष्टिकोण से जागृत नागरिक अपने मतों का सदुपयोग बेहतर रूप से करते हैं। राजनीति में कम रूचि रखने वाले या राजनीति का कम ज्ञान रखने वाला मतदाता या तो मत से उदासीन रहते हैं या अपने मत का दुरुपयोग करते हैं।
- भारतीय मतदान व्यवहार सम्बन्धी उपर्युक्त प्रवृत्तियाँ पूरे देश में आमतौर पर पायी जाती हैं। लेकिन भारतीय मतदाताओं के व्यवहार की प्रकृति एक राज्य से दूसरे राज्य में या एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में बहुत भिन्न भी देखी गई है। कहीं जाति का बोलबाला है तो कहीं जाति एकदम गौण है। कहीं धर्म के आधार पर मतदान होता है तो कहीं स्थानीय या राष्ट्रीय समस्याओं के आधार पर। कहने का तात्पर्य यह है कि राज्य और क्षेत्र में मतदाताओं की सामाजिक और आर्थिक प्रकृति और उनके राजनीति जागरण तथा मतदान क्षमता में विश्वास के अनुसार मतदान व्यवहार में अंतर पड़ जाता है।

मतदान व्यवहार का इतिहास :- मतदान व्यवहार एवं इससे जुड़े प्रश्नों पर वैचारिक ढंग से सोच विचार का इतिहास बहुत पुराना नहीं है। मतदान व्यवहार का अध्ययन बीसवीं सदी की ही एक प्रक्रिया है। सर्वप्रथम फ्रांस में १९१३ में मतदान व्यवहार का अध्ययन किया गया। इसके बाद अमेरीका में दो विश्व युद्धों के बीच काल में और ब्रिटेन में महायुद्ध के बाद मतदान व्यवहार का अध्ययन किया गया। भारतीय परिप्रेक्ष्य में इस दिशा में अध्ययन की शुरुआत १९५४ में माइनर वीनर ने की थी, तब से आज तक अनेक लघु एवं बृहत् अध्ययन हो चुके हैं। इन अध्ययनों के परिणामस्वरूप राजनीतिशास्त्र की विषय वस्तु एवं अध्ययन पद्धति में आधारभूत परिवर्तन हुए हैं। आजकल इन्द्रियानुभविक शोध पर जोर है यह मानते हुए भी कि नवीन परिवर्तन आवश्यक एवं अवश्यम्भावी हैं, मैं पुरातन को पूर्णतः नकारने की पक्षधर नहीं हूँ। कोई भी शोध प्रयास एकांगी नहीं हो सकता। इन्द्रियानुभविक अनुभव पर आधारित नवीन शोध में भी इस दिशा में पूर्वकाल में हुए अनुसंधानों, पद्धतियों के बारे में जानकारी प्राप्त करना आवश्यक है, ताकि भूतकाल में की गई गलतियों से बचा जा सके, व उनकी कठिनाईयों एवं निष्कर्षों के परिप्रेक्ष्य में अपने विषय की आवश्यकताओं को परिभाषित किया जाए। वस्तुतः आज के युग में ज्ञान को विषय की सीमाओं में बाँधा नहीं जा सकता। अतः अंतर्शास्त्रीय अध्ययनों की आवश्यकता है। इन्द्रियानुभविक शोध इस दिशा में एक कारगर कदम है। विकास चाहे राजनीतिक हो या सामाजिक या आर्थिक, अलग-थलग जाना,

समझा एवं आंका नहीं जा सकता। यह अफसोस की बात है कि भारत में पिछले कुछ वर्षों में हुए इन्द्रियानुभविक शोध की सबसे बड़ी कमी उसका एकांगी होना है। सैम्यल आई. एल्डरसवैल्ड, जिन्होंने भारत की जनता के राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन किया है, उनका भी यही मत है। राजनीतिक व्यवहार सामाजिक बदलाव का कारक है एवं उसकी सीमाओं को तय करता है। सामाजिक बदलाव का राजनीतिक संदर्भ अति महत्वपूर्ण है। वास्तव में किसी भी समाज के विभिन्न घटकों में हो रहे परिवर्तनों को 'विकासमूलक' दृष्टिकोण से ऐतिहासिक एवं आर्थिक परिप्रेक्ष्य में समझा जाना चाहिये तभी हम, लोगों की वस्तुनिष्ठ परिप्रेक्ष्य में राजनीतिक व्यवहार से जुड़ी आवश्यकताओं एवं उसके प्रभावों का ज्ञान कर सकेंगे, वह हम समुचित दिशाओं में लक्ष्य निर्धारण व लक्ष्य प्राप्ति के प्रयत्नों में समन्वय स्थापित कर सकेंगे। में राजनीतिक व्यवहार से जुड़ी आवश्यकताओं एवं उसके प्रभावों का ज्ञान कर सकेंगे, वह हम समुचित दिशाओं में लक्ष्य निर्धारण व लक्ष्य प्राप्ति के प्रयत्नों में समन्वय स्थापित कर सकेंगे।

मन्दसौर जिले की राजनीति में महिला नेतृत्व :- भारतीय संविधान ने महिलाओं को पुरुषों के समान ही राजनीतिक अधिकार प्रदान किये हैं। अतः उनकी भागीदारी पुरुषों के समान ही होगी ऐसी आशा की गई थी किन्तु भारतीय सामाजिक परिस्थितियाँ महिलाओं के राजनीतिक अधिकारों के प्रयोग के मार्ग में बाधा के रूप में रही। राजनीतिक दृष्टि में चाहे कितनी भी महिलाओं की राजनीतिक भूमिका की कामना रही हो, भारतीय समाज महिलाओं की इस भूमिका का आकांक्षा नहीं था। देश एवं प्रदेश के उक्त राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में तथा पूर्व उल्लेखित मन्दसौर जिले में महिला परिस्थिति के चलते जिले की राजनीति में भी कोई विशिष्ट महिला नेत्री अभी तक नहीं उभरी है। लोकसभा, राज्यसभा एवं मध्यप्रदेश की विधानसभाओं में महिला प्रतिनिधित्व तो दूर की बात है यहाँ तक कि सत्तासीन एवं प्रमुख पार्टियों ने १९९० तक कोई उम्मीदवारी भी नहीं दी। गत २० वर्षों में मुस्लिमों, राजपूतों या अन्य क्षेत्रीय पार्टियों (प्रभावहीन) के नामांकित उम्मीदवार के रूप में अवश्य उतारा गया किन्तु वे किसी विशेष जाति के या अन्य उम्मीदवारों के वोट काटने आदि के लिये डमी प्रयोगभर थी, मतदाताओं में उनकी कभी कोई पहचान नहीं रहती। १९९० के दशक पश्चात् जब विधायिका में महिला आरक्षण की बात ने जोर पकड़ा तब सुवासरा सुरक्षित सीट से श्रीमती पार्वती आर्य को कांग्रेस ने टिकिट दिया किन्तु वह विजयश्री वरण नहीं कर सकी। हां, वर्ष १९९८ के मध्यप्रदेश विधानसभा चुनाव में इस जिले से प्रथम बार कांग्रेस के टिकिट पर महिला उम्मीदवार श्रीमती पुष्पा भारतीय सुवासरा सीट से विधायक बनी। अब राजनीति में महिला आरक्षण की देशव्यापी बहस के चलते जिला स्तर के विभिन्न महिला प्रकोष्ठों एवं अन्य पदों पर महिलाओं को तरजीह देकर नये-नये नाम उभर रहे हैं। इसी प्रकार पंचायत चुनावों में ५० प्रतिशत आरक्षण की वजह से भी यहाँ का जनमानस राजनीति में महिलाओं के नव-नेतृत्व से परिचित होता जा रहा है, लेकिन प्रभावशाली एवं जन-जन में व्याप्त महिला नाम से जिला अछूता ही है।

मतदान व्यवहार की विशेषताएँ :- मतदान व्यवहार के अध्ययन के उपरांत हम मतदान व्यवहार की कुछ विशेषताएँ बता सकते हैं। जैसे -

- ❖ मतदान व्यवहार अत्यधिक अनिश्चित आचरण है। एक क्षेत्र का मतदान व्यवहार दूसरे क्षेत्र के मतदान व्यवहार से भिन्न होता है। अतः एक क्षेत्र के मतदान व्यवहार के आधार पर इस सम्बन्ध में किसी प्रकार के सामान्य निष्कर्ष निकालना संभव नहीं होता।
- ❖ मतदान व्यवहार लोकतंत्र में आधारभूत तत्व है। इसी से लोकतंत्र की वास्तविकता या औपचारिकता निर्धारित होती है।
- ❖ मतदान व्यवहार लम्बे समय तक अनुमान का विषय रहा था किन्तु अब मतदान व्यवहार के व्यवस्थित अध्ययन शुरू हुए हैं। इनका अध्ययन करने में वैज्ञानिक पद्धतियों को अपनाया जाता है।
- ❖ मतदान व्यवहार के अध्ययनों के आधार पर निर्वाचन परिणामों का पूर्वानुमान लगाया जाता है।

मतदान व्यवहार पर मुख्यतः तीन प्रकार -

- सामाजिक स्तर
- दल के प्रति निष्ठा
- मुद्दों से सम्बन्धित तत्व प्रभाव डालते हैं।

संदर्भ ग्रन्थ सूची -

१. बुसेल, जे. (२०१९), ग्राहक और मतदाता संरक्षणवादी लोकतंत्रों में राजनीतिक जवाबदेही।
र. ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस। १०.१०९३/वेव/९७८०१९०९४५३९८.००१.०००१
२. बटलर, डी. एम. (२०२२), मतदाता महिला विधायकों से अधिक करने की अपेक्षा करते हैं।
र. जर्नल ऑफ पॉलिटिक्स, ८४(४), २२७८६२२८२, गूगल स्कॉलर
३. कैरी, जे. एम. (२००७), विधायी मतदान में प्रतिस्पर्धी सिद्धांत, राजनीतिक संस्थाएँ और पार्टी एकता।
र. अमेरिकन जर्नल ऑफ पॉलिटिकल साइंस, ५१(१), ९२६१०७, गूगल स्कॉलर
४. डी. कार्वाल्हो, (२०१६) अंतर्संबंधी व्यवहार और सांस्कृतिक चयन। नॉस्क टिंड्सक्रिप्ट फॉर एटफडर्सएनालिसिस,
र. ४३(१) १०६२५, गूगल स्कॉलर

५. डिस्कॉल, ए. और नेल्सन, एम. (२०२१), अदालती नियंत्रण की न्यूनतम लागत रू संयुक्त राज्य अमेरिका से
र. प्रायोगिक साक्ष्य। १०२१३९/तद ३९१७००७
६. इयोरकिन, आर. (१९७५), कठिन मामले। हार्वर्ड लॉ रिव्यू, ८८(६), १०५७६११०९, खगुल स्कॉलर
७. ब्रेन्जके, जे. एम. (१९८९), पीएसी और कांग्रेसी सुपरमार्केट मुद्रा जटिल है। अमेरिकन जर्नल ऑफ
र. पॉलिटिकल साइंस, ३३(१), १६२४, १०२३०७/२१११२५१, गूगल स्कॉलर
८. हजनल, जेड, लाजेवर्डी, एन, और नीलसन, एल. (२०१७) मतदाता पहचान कानून और अल्पसंख्यक वोटों का
र. दमन। द जर्नल ऑफ पॉलिटिक्स, ७९(२), ३६३६३७९, गूगल स्कॉलर
९. हॉल आर. एल. (१९९०), समय खरीदना धनी हित और कांग्रेस समितियों में पूर्वाग्रह का लामबंदी।
र. अमेरिकन पॉलिटिकल साइंस रिव्यू, ८४(३), ७९७६८२०, १०.२३०७/१९६२७६७ गूगल स्कॉलर
१०. अमल, पी. ए. (संपादक) (१९९१) समाजों और सांस्कृतिक प्रथाओं का व्यवहार विश्लेषण।
र. हेमिस्फेयर पब्लिशिंग।
११. लामल, पी. ए. (१९९२), कांग्रेस मेटाकॉर्टिजेंसी। व्यवहार और सामाजिक मुद्दे, २, ७१६८१,
र. १०.५२१०/हेप.अ२५१.१७५, रू
१२. गूगल स्कॉलर
१३. लामल, पी. ए. (संपादक) (१९९७) सांस्कृतिक आकस्मिकताएँ सांस्कृतिक प्रथाओं पर व्यवहार विश्लेषणात्मक
र. परिप्रेक्ष्य, प्रेगर पब्लिशर्स/ब्रीनवुड पब्लिशिंग ग्रुप